उपायुक्त का न्यायालय, कोडरमा

उगनी देवी बनाम राज्य

विविध वाद संख्या–14/2015

आदेश

27.10.16

आवेदिका उगनी देवी पति श्री लिलधारी पंडित, निवासी–चन्दवारा, पोस्ट व थाना–चन्दवारा, जिला–कोडरमा द्वारा विविध वाद दायर किया गया है।

मौजा–चन्दवारा, थाना–चन्दवारा, थाना नं0–276 के अन्तर्गत खाता नं0–175, प्लॉट नं0–6279/7358, रकवा–25डी0 मधे 17डी0 जमीन बंधन कुम्हार द्वारा निबंधित विक्रय पत्र संख्या–4900, दिनांक 22.06.1978 द्वारा आवेदिका को विक्री कर दखल कब्जा दिया गया तथा आवेदिका के नाम दाखिल–खारीज स्वीकृत होकर सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत हो रहा है। आवेदन पत्र में यह भी अंकित है कि उक्त भूमि के 17डी0 भूमि में से 06डी0 भूमि श्रीमती रेणु देवी के नाम से बिक्री कर चुकी है तथा शेष 11डी0 जमीन का मालगुजारी रसीद 2010–11 तक निर्गत हो चुका है। आवेदिका अपनी उक्त भूमि को बंधक रखकर भवन बनाकर बैंक को देना चाहती है। मालगुजारी रसीद 2010–11 के बाद से निर्गत करने का आदेश अंचल अधिकारी, चन्दवारा को देने की प्रार्थना की गई है।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 23–8–2016 को लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया। आवेदिका का कहना है कि मौजा–चंदवारा, थाना–चंदवारा, खाता संख्या 175 प्लाट सं0 6279/7356 रकवा 17 डिसी0 पूर्व जमींदार द्वारा चरण दुसाध, पिता–स्व0 रेवा दुसाध, ग्राम–चंदवारा के नाम से बंदोबस्त कर हुकुमनामा तथा जमींदारी मालगुजारी रसीद निर्गत किया गया है। चरण दुसाध द्वारा निबंधित केवाला दिनांक 16.6.1961 के माध्यम से 17 डिसी0 भूमि बंधन कुम्हार, पिता स्व0 केहर कुम्हार, ग्राम–रधवाटांड़ को बेच दिया और उनके नाम से दाखिल खारिज होकर लगान रसीद निर्गत हो रहा है और उक्त भूमि उनके दखल कब्जे में है। बंधन कुम्हार द्वारा क्रय की गयी सारी भूमि मौजा–चंदवारा, थाना–चंदवारा, खाता संख्या 175 प्लाट सं0 6279/7356 रकवा 11 डिसी0 को उगनी देवी को निबंधित केवाला संख्या 4900 दिनांक 22.6.1978 द्वारा बेच दिया। तत्कालीन अंचल अधिकारी, चौपारण के दाखिल खारीज वाद संख्या–824/1986–87 में जॉचोपरान्त उगनी देवी के नाम से दाखिल खारीज करते हुए लगान रसीद निर्गत किया गया। उक्त लगान रसीद 2010–11 तक निर्गत है।

अंचल अधिकारी, चंदवारा के पत्रांक 423 दिनांक 31–8–2016 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौज़ा चंदवारा थाना नं0 276 के अंदर खाता संख्या 175 प्लॉट नं0 6279/7358 रकवा 0.17 ए0 भूमि निबंधित केवाला संख्या 4900 दिनांक 22.6.1978 द्वारा श्री बंधन कुम्हासर पिता स्व0 केहर कुम्हार साकिन मौजा रघवाटांड़, थाना–चंदवारा जिला हजारीबाग से खरीदगी द्वारा श्रीमती उगनी देवी पति श्री लिलधारी कुमहार साकिन मौजा चंदवारा थाना चौपारण जिला हजारीबाग को हासील है। खरीदगी भूमि के खाता प्लॉट से 06 डिसी0 भूमि श्रीमती रेणू देवी के नाम से बिक्री के पश्चात शेष 11 डी0 भूमि दखल कब्जा में है, जिसका मालगुजारी रसीद वर्ष 2010–11 तक निर्गत है। उक्त खाता खेसरा की भूमि सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है, गैरमजरूआ खास खाते की भूमि के संबंध में उपायुक्त कोडरमा के आदेश ज्ञापांक 2620/गो0 दिनांक 29.9.2011 के आदेशानुसार लगान रसीद निर्गत नहीं करने का आदेष प्राप्त है।

उपायुक्त का न्यायालय सत्यमेव जयते कोडरमा

आवेदिका से दिनांक 2–2–2016 को सुनवाई के दौरान जमींदार से प्रथम बंदोबस्ती धारक को जमीन हस्तांतरण से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। आवेदिका द्वारा संबंधित साक्ष्य उपलब्ध कराने हेतु बार बार समय की मांग की गयी। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लगान रसीद निर्गत करने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा आवेदिका द्वारा प्रथम बंदोबस्ती धारक को भूतपूर्व जमींदार से जमीन हस्तांतरण से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध कराने में असमर्थ रहने के कारण उनके आवेदन को अस्वीकृत करने का विधिक परामर्श दिया गया।

अतः आवेदिका द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने की वजह से श्रीमती उगनी देवी के मालगुजारी रसीद निर्गत करने संबंधित आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त, कोडरमा 24/10

उपायुक्त के न्यायालय, कोडरमा, सत्यमेव जयते

उपायुक्त 24/10

कोडरमा।